अनूप मुखर्जी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

फैक्स/
स्पीड पोस्ट

अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- 2/बी0एल0-1216/2007 श्र0सं0- 2868 पटना,
दिनांक:...12...अगस्त, 2009

प्रिय श्री

आप अवगत है कि श्री घुरन महतो, प्रदेश संयोजक, बचपन बचाओं आन्दोलन, सहरसा, बिहार द्वारा विमुक्त बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास आपके जिले में नही करने संबंधी परिवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में केस संख्या- 2097 /4/ 29/07-08 /यू0सी0 के रूप में दर्ज है ।

2. उक्त परिवाद की जाँच आयोग ने श्रम संसाधन विभाग को करने का निदेश दिया है । इसी क्रम में उक्त परिवाद पत्र की प्रति ससमय आपको भेजी गयी थी एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश भी दिया गया था । श्रमायुक्त ने इस परिवाद में उठाए गए बिन्दुओं के निष्पादन हेतु माह नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ कर कई बैठकें आयोजित की । परंतु विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के संबंध में आपके द्वारा की गयी ठोस कार्रवाई की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हो सकी है ।

3. विमुक्त बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास अबतक नहीं किए जाने के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिससे न केवल अपने राज्य की छवि धूमिल हुई है अपितु दोषी पदाधिकारियों पर मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत भी कार्रवाई संभव है ।

4. अतएव मै चाहूँगा कि श्री घुरन महतो के शिकायत वाद के आलोक में अपने-अपने जिले में विमुक्त किन्तु अबतक अपुनर्वासित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जाय एवं की गयी कार्रवाई पर स्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक 25.8.2009 तक श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी जाय । यदि पुनर्वास हेतु राशि की आवश्यकता हो तो श्रम संसाधन विभाग से राशि की अधियाचना कर प्राप्त कर लें ।

भवदीय

अमु 11/8/09

(अनूप मुखर्जी)

श्री...

जिला पदाधिकारी,